



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062022-236299
CG-DL-E-04062022-236299

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2442]
No. 2442]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2022/ज्येष्ठ 13, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2022/JYAISTHA 13, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2022

का.आ. 2569(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इस में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. 1480 (आ.) तारीख 30-03-2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में (जालंधर बाई पास) जालंधर रिंग रोड के कि.मी. 23.5 से कि.मी. 25.5 और कि.मी. 27 से कि.मी. 29.5 डी.आर.ओ. कपूरथला (डी सी कार्यालय कपूरथला) तक के राष्ट्रीयराज मार्ग के निर्माण (चोड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमिका अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप धारा (3) के अधीन तारीख 17/04/2022 को टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेज़ी) और अजीत (पंजाबी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में (जालंधर बाई पास) जालंधर रिंग रोड के कि.मी. 23.5 से कि.मी. 25.5 और कि.मी. 27 से कि.मी. 29.5 डी.आर.ओ. कपूरथला (डी सी कार्यालय कपूरथला) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण ।

राज्य का नाम: पंजाब		जिले का नाम: कपूरथला			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: फगवाड़ा				
	गांव का नाम: चेरू (83)				
1	1088	निजी	गैर मुमकिन ढावा	0.0228	गुरदीप कौर विधवा जवाला पुत्तर 1/20 हिस्सा, धर्म सिन् पुत्तर जवाला पुत्तर 1/20 हिस्सा, अमरजीत सिन् पुत्तर धर्म पुत्तर जवाला सिन् 1/10 हिस्सा, सर्जीवनसिंह पुत्तर धर्म सिन् पुत्तर जवाला सिन् 1/10 हिस्सा, जगजीतसिंह पुत्तर धर्म सिन् पुत्तर जवाला सिन् 1/10 हिस्सा, कमलजीत कौर बेटी धर्म सिन् पुत्तर जवाला सिन् 1/10 हिस्सा, कमलजीत सिन् पुत्तर भजन सिन् 33/1128 हिस्सा, मनजीत सिंह पुत्तर भजन सिन् 33/1128 हिस्सा, राकेश कुमार पुत्तर भीम सेयन् पुत्तर रेम् लेल् 169/564 हिस्सा, पट्टा दहिंदा गुरनाम सिन् पुत्तर लक्ष्मण सिन् पुत्तर सन्दर् सिन् 169/1128 हिस्सा, पट्टा गढंदगान जगदेव सिन् पुत्तर जरनैल सिन् पुत्तर सुचेत सिन् 70/564 हिस्सा, बिलरहीन कुलदीप सिन् पुत्तर जोगिंदर सिन् पुत्तर किशन सिन्

					10/564 हिस्सा.मूर्तिन (खसरा नो 1088/1) अभिन्षल् गवर्मनेट (खसरा नम्बर 1088/2) (1088)
2	1091	अन्य(ग्राम पंचायत)	एग्रिकल्चर	0.0101	नगर पंचायत देह (1091)
3	1097	सरकारी	गैर् मुमकिन	0.0228	प्रांतीय सरकार (1097)
4	1163/1	निजी	गैर् मुमकिन / रास्ता	0.0025	तरलोचन सिंह पुत्तर प्रीतम सिंह 1/2 हिस्सा, रणजीत कौर विधवा अवतार सिंह - अमरीक सिंह, दलजीत कौर पुत्तरी भीम सैन् 1/2 हिस्सा (1163/1)
5	1163/2	निजी	एग्रिकल्चर / रास्ता	0.0278	तरलोचन सिंह पुत्तर प्रीतम सिंह 1/2 हिस्सा, रणजीत कौर विधवा अवतार सिंह - अमरीक सिंह, दलजीत कौर पुत्तरी भीम सैन् 1/2 हिस्सा (1163/2) (1163/2)
6	1166	निजी	गैर् मुमकिन	0.0632	मनजीत सिंह पुत्तर नरिंदर सिंह पुत्तर भगत सिंह 67/1100 हिस्सा, रुपिंदर सिंह - जतिन्दर सिंह पुत्तर मनजीत सिंह पुत्तर सोहन सिंह 1033/1100 हिस्सा, (1166)
			कुल	0.1492	

[फा. सं. PD/PIU-JAL/JALANDHAR RING ROAD/241/2020/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd June, 2022

S.O. 2569(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O No 1480 (E) dated 30/03/2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Jalandhar Ring Road (Jalandhar Bypass) on the stretch of land from Km. 23.5 to Km. 25.5 and Km. 27 to Km. 29.5 (DRO Kapurthala) DC Office Kapurthalla in the district of KAPURTHALA in the state of PUNJAB;

And whereas the substance of the said notification has been published in Times of India (English) and Ajit (Punjabi) both dated 17/04/2022 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Jalandhar Ring Road (Jalandhar Bypass) in the stretch of land from Km. 23.5 to Km. 25.5 and Km. 27 to Km. 29.5 (DC Office Kapurthalla) in the district of KAPURTHALA in the state of PUNJAB.

State: PUNJAB		District: KAPURTHALA			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Phagwara				
	Village: Chaheru (83)				
1	1088	Private	Gair Mumkin Dhaba	0.0228	Gurdeep kaur widhwa Jawala Singh 1/20 Hissa, Dharam singh s/o jawala Singh 1/20 hissa, Amarjit singh s/o dharam Singh s/o jawala Singh 1/10 hissa, Sarjivansingh s/o dharam Singh s/o jawala Singh 1/10 hissa, Jagjitsingh s/o dharam Singh s/o jawala Singh 1/10 hissa, Kamaljit Kaur D/o dharam Singh s/o jawala Singh 1/10 hissa, Kamaljit Singh s/o bhajan singh 33/1128 Hissa, manjit Singh s/o bhajan singh 33/1128 Hissa, rakesh kumar s/o Bhim Sain s/o ram lal 169/564 hissa, Patta dahinda Gurnam Singh s/o luxman Singh s/o Sunder Singh 169/1128 hissa, patta Garhndgaan Jagdev Singh s/o jarnail Singh s/o Suchet Singh 70/564 hissa, Bilarahin kuldeep Singh s/o joginder Singh s/o kishan singh 10/564 hissa. Murtheen (Khasra No 1088/1) Provincial Governmet (Khasra Number 1088/2) 1088
2	1091	Common(Gram Panchayat)	Agriculture	0.0101	Nagar Panchayat Deh 1091
3	1097	Government	Gair Mumkin	0.0228	Provincial Government 1097
4	1163/1	Private	Gair Mumkin / Road	0.0025	Tarlochan Singh puttar pritam singh 1/2 hissa, Ranjit Kaur widow Avtar Singh - Amrik Singh, Daljeet Kaur puttari

					Bheem Sen 1/2 hissa 1163/1
5	1163/2	Private	Agriculture / Road	0.0278	Tarlochan Singh puttar pritam singh 1/2 hissa, Ranjit Kaur widow Avtar Singh - Amrik Singh, Daljeet Kaur puttari Bheem Sen 1/2 hissa (1163/2) 1163/2
6	1166	Private	Gair Mumkin	0.0632	Manjit Singh S/o Narinder Singh S/o Bhagat Singh 67/1100 hissa, Rupinder Singh - Jatinder Singh S/o Manjit Singh S/o Sohan Singh 1033/1100 Hissa, 1166
			TOTAL	0.1492	

[F. No. PD/PIU-JAL/JALANDHAR RING ROAD/241/2020/3D]

RAJESH GUPTA, Director